

700409/16

II-158  
C.J.(E)

Description Sheet No.

राज्य द्वारा एडीपीओ।

06/12/16

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री राकेशचंद गुप्ता।

फरियादी कैलाश स्वयं उपस्थित।

संबंधित न्यायालय से मीडिएशन सफलता की सूचना प्राप्त, जो संलग्न की

गयी।

फरियादी कैलाश की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री राजीव शुक्ला एवं अभियुक्त की पहचान उनके अधिवक्ता श्री राकेशचंद गुप्ता द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमति देने में समर्थ दर्शित हैं। राजीनामा के संबंध में फरियादी कैलाश शर्मा का कथन अंकित किया गया।

अभियुक्त पर भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 325, 506 बी के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो कि न्यायालय की अनुमति से शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को धारा 294, 323, 325, 506 बी भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त के प्रतिभूति व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में कोई संपत्ति जब नहीं।

प्रकरण का परिणाम दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

(A.K. Gupta)

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt. Bhind (M.P.)

राकेशचंद गुप्ता  
G. K. Gupta  
21/06/2016

राकेशचंद गुप्ता  
G. K. Gupta  
21/06/2016